न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 9/2022 **दायर दिनांकः 12/07/2022**

उनवान

1. लक्ष्मीनारायण उम्र 68 वर्ष पुत्र हरिकिशन जाति धाकड निवासी दिलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय, तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—
प्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनाकः 08/02/2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर. टी. एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल दिलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां राज0 में खाता संख्या 521 का ख0नं0 1101, 1102/2117, 1129, 1130, 263, 327 कुल किता 6 का कुल रकबा 8.64 है0 आराजी प्रार्थी के कब्जे एवं खाते की स्थित है। प्रार्थना पत्र के साथ नकल नवीन जमाबंदी, नक्शा ट्रेस एवं नजरी नक्शा पेश है। जो काबिल गौर है। प्रार्थी की उक्त भूमि ग्राम दिलोद हाथी के ख.नं. 327 की भूमि एवं कवाई—गऊघाट रोड़ के बीच में ख.नं. 329 की भूमि है जो रिकार्ड में बन्जड़ दर्ज है। प्रार्थी सदैव से अपने खेत ख.नं. 327 पर सरकारी भूमि ख.नं. 329 में होकर ही आता जाता रहा है तथा कृषि यन्त्र ट्रेक्टर ट्रोली लाता ले जाता रहा है। क्योंकि प्रार्थी के खेती करने हेतु जाने एवं खेती के औजार ले जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थी सदैव से अपने खेत पर निवास करता है एवं खेत का अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थी सरकारी नं. 329 में होकर अपने खेत में जाता है जिसको 20 फुट चौड़ा रास्ते में दर्ज करवाना चाहता है। उक्त रास्ते को नक्शे में तरमीम किया जावे। उक्त रास्ते का समस्त खर्चा प्रार्थी वहन करने को तैयार है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थी को ग्राम दिलोद हाथी के सरकारी ख.नं. 329 में होकर रास्ता दर्ज करवाया जाना सम्भव नही है। अगर उक्त भूमि में होकर रास्ता दर्ज नही किया गया तो प्रार्थी अपने स्वामित्व की आराजी पर

आने जाने एवं कृषि यन्त्र लाने ले जाने से वंचित हो जावेगा। जिससे प्रार्थी समय पर अपने खेत को नही हंकवा सकेगा, सिंचाई नही कर सकेगा तथा प्रार्थी की आराजी पड़त रह जावेगी तथा रास्ते के अभाव में प्रार्थी को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जिसके फलस्वरूप प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही होगी तथा प्रार्थी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करता है कि प्रार्थी को उसके स्वामित्व की आराजी ग्राम दिलोद की ख.नं. 327 पर आने जाने हेतु कवाई–गऊघाट रोड़ एन. एच. 51 से अप्रार्थी की ग्राम एवं माल दिलोद हाथी की सरकारी भूमि ख.नं. 329 में होकर स्थायी रास्ता 20 फुट चौड़ाई में दिलाया जावे तथा उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में नक्शे में तरमीम किया जावे। प्रार्थी रास्ते की मुआवजा राशि नियमानुसार जमा कराने को तैयार है। विवाद ग्रस्त रास्ता एवं आराजी वाके ग्राम एवं माल दिलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां में स्थित है जिसका क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सत्य तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को ग्राम दिलोद हाथी में उसके स्वामित्व की आराजी ख.नं. 327 पर आने जाने एवं कृषि यन्त्र लाने ले जाने का स्थायी रास्ता कवाई–गऊघाट रोड़ एन. एच. 51 से अप्रार्थी की ग्राम एवं माल दिलोद हाथी की सरकारी भूमि ख.नं. 329 में होकर 20 फुट चौड़ा रास्ता दिलाया जावे तथा उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में नक्शे में तरमीम किया जावे। प्रार्थी रास्ते की मुआवजा राशि नियमानुसार जमा कराने को तैयार है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उक्त रास्ता दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी तहसीलदार साहब अटरू को प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2407 दिनांक 04.10.2022 से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि बिन्दु संख्या 1 क्रम में मुताबिक जमाबंदी संवत 2072–75 जमांदी 2076 वर्ष 2019 से ग्राम दीलोद हाथी मुताबिक वाद पत्र स्वीकार है। बिन्दु संख्या 2 के क्रम में मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट ग्राम दीलोद हाथी की आराजी ख0नं0 327 रकबा 0.52 है0 भूमि खातेदार लक्ष्मीनारायण पुत्र हरिकिशन जाति धाकड निवासी दीलाद हाथी के दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त आराजी पर आने जाने हेतु ताबिक नक्शा लट्ठा कोई रास्ता दर्ज नहीं है। प्रार्थी वर्तमान में ग्राम दीलाद हाथी की आराजी ख0नं0 329

रकबा 0.10 है0 किस्म बंज डमें से होकर आता जाता है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि आराजी ख0नं0 327 रकबा 0.52 है0 में आने जाने हेतु सरकारी भूमि ख0नं0 329 किस्म बंज डमें से होकर रास्ता मांगा जा रहा है। ख0नं0 329 में प्रार्थी को दिये जाने वाले रास्ते की चौडाई 4 मीटर तथा लम्बाई 8 मीटर अर्थात 32 वर्गमीटर होगी। नजरी नक्शा पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी को ख0नं0 329 में से नियमानुसार रास्ता दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। बिन्दु संख्या 3 माननीय न्यायालय से संबंधित है। बिन्दु संख्या 4 माननीय न्यायालय से संबंधित है। बिन्दु संख्या 5 माननीय न्यायालय से संबंधित है। बिन्दु संख्या 6 माननीय न्यायालय से संबंधित है। बिन्दु संख्या 7 माननीय न्यायालय से संबंधित है।

3. अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को ग्राम दिलोद हाथी में उसके स्वामित्व की आराजी ख.नं. 327 पर आने जाने एवं कृषि यन्त्र लाने ले जाने का स्थायी रास्ता कवाई–गऊघाट रोड़ से अप्रार्थी की ग्राम एवं माल दिलोद हाथी की सरकारी भूमि ख.नं. 329 किस्म बंजड में से होकर 20 फुट चौड़ा रास्ता दिलाया जावे प्रार्थी वर्षों से इसी भूमि मे से होकर अपने खेतों तक आता जाता है। प्रार्थी के खेत ख0नं0 327 तक पहुंच का यही सबसे लघुतम रास्ता है जिसकी लंबाई करीब 20 फीट है। प्रार्थी रास्ते की भूमि की मुआवजा राशि नियमानुसार अप्रार्थी को जमा कराने को तैयार है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा पुनः कथन किया गया कि यह रास्ता प्रार्थी की अति आवश्यकता है और यदि प्रार्थी को उसकी आराजी तक पहुंच के लिए रिकार्डेड रास्ता नहीं दिया गया तो उसकी भूमि पडत रह जायेगी जिससे उसके परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो जायेगा।

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा पुनः तर्क किया कि किसी काश्तकार को अपनी जोत तक पहुंचने के लिए राजकीय भूमि (सिवायचक) में होकर नया रास्ता चाहिए या किसी विद्यमान रास्ते को चौडा करना चाहता है तो राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प03(52)राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.13 के आधार पर रास्ता दिये जाने के प्रावधान है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि धारा 251 ए आर0टी0एक्ट0 व उक्त परिपत्र प्रावधानों के अधीन प्रार्थी को अपनी आराजी तक पहुंच हेतु 20 फिट चौडा रास्ता संलग्न नजरी नक्शे अनुसार दिया जावे।

4. पेरोकार सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू द्वारा अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर कोई आपत्ति पेश नहीं करते हुऐ पेश राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 14.06.2013 के अनुसार रास्ता दिये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

5. अभिभाषक प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। उपरोक्त बहस के प्रकाश में पत्रावली एवं पेश परिपत्र का अवलोकन किया गया। धारा 251 क आर0टी0एक्ट0 के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो के पालना जरूरी हैः–

(i) **रास्ते की अत्यावश्यकता होना**– प्रार्थी द्वारा पेश ग्राम दीलोद हाथी की आराजी ख0नं0 327 रकबा 0.52 है0 की जमाबंदी संवत 2072–75, ग्राम दीलोद हाथी के खसरा नक्शा, तहसीलदार अटरू के जवाब दावा दिनांक 19.10.2022 आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के खाते व कब्जे की आराजी ख0नं0 327 रकबा 0. 52 है0 तक पहुंच हेतु कोई भी रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। पेश खसरा नक्शा के अनुसार प्रार्थी की आराजी ख0नं0 327 के पश्चिम में निजी भूमि ख0नं0 328, उत्तर में निजी भूमि ख0नं0 325 व 326 तथा पूर्व में गै0मु0 खलियान ख0नं0 1041 दर्ज रिकार्ड है अर्थात प्रार्थी की आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकार्डेड गै0मु0 रास्त उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी कई वर्षों से अपने खेत तक पहुंचने के लिए ख0नं0 329 से होकर बने अस्थाई रास्ते को वास्तविक रूप में उपयोग एवं उपभोग करता आया है। अतः साबित होता है कि प्रार्थी को अपने खेत ख0नं.0 327 पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं होने से नये रास्ते की अत्यावश्यकता है।

(ii) **वैकल्पिक रास्ता नहीं होना**– अभिभाषक प्रार्थी की बहस और तहसीलदार अटरू द्वारा जवाब दावा अनुसार प्रार्थी के खाते की ग्राम दीलोद हाथी के आराजी ख0नं0 327 तक पहुंच हेतु कोई भी रिकोर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। पेश खसरा नक्शा के अनुसार प्रार्थी की आराजी ख0नं0 327 के पश्चिम में निजी भूमि ख0नं0 328, उत्तर में निजी भूमि ख0नं0 325 व 326 तथा पूर्व में गै0मु0 खलियान ख0नं0 1041 दर्ज रिकार्ड है अर्थात प्रार्थी की आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकार्डेड गै0मु0 रास्त उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी कई वर्षों से अपने खेत तक पहुंचने के लिए ख0नं0 329 से होकर बने अस्थाई रास्ते को वास्तविक रूप में उपयोग एवं उपभोग करता आया है।

अतः साबित होता है कि प्रार्थी के खेत तक पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

(iii) **सबसे लघुतम रास्ता होनाः**— प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा एवं तहसीलदार अटरू द्वारा पेश जवाब दावा दिनांक 19.10.2022 अनुसार प्रार्थी के खेत ग्राम दीलोदहाथी के ख0नं0 327 तक पहुंच का सबसे लघुतम रास्ता ख0नं0 329 की पूर्वी मेड से होकर जाता है जिसकी लम्बाई करीब 8 मीटर है।

(iv) **डी0एल0सी0 की दुगनी दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतानः**—प्रार्थी, अप्रार्थी/पेरोकार सरकार के ख0नं0 329 से होकर दिये जाने वाले रास्ते हेतु उपयोग आने वाली भूमि की डी.एल.सी. दरों से दुगनी राशि का भुगतान करने के लिए सहमत है।

6. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अधीन नया रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। लेकिन उक्त प्रावधान के केवल खातेदारी भूमि से ही नये रास्ते दिये जाने के संबंध में है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी को अपनी जोत तक पहुंच हेतु राजकीय भूमि ख0नं0 329 में होकर अस्थाई रास्ता गुजरता है और प्रार्थी खातेदार द्वारा इसी सिवायचक भूमि में होकर नया रास्ता चाह गया है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा पेश राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग के ग्रुप 6 के परिपत्र क्रमांक प.3(52)राज—6/12/4 दिनांक 14.06.2013 का अवलोकन किया गया। उक्त परिपत्र में राजकीय भूमि से सार्वजनिक रास्ता दिये जाने के संबंध में निम्न प्रावधान किये गये है— ***"राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के संबंध में —संबंधित खातेदारों की आपसी सहमति से उनके खेतों तक पहुंच के लिए रास्ता गुजरता है या नया रास्ता प्रस्तावित है तो रास्ते में आने वाली भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत समर्पण किया जाकर रास्ते राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाता है। यदि ऐसे प्रस्तावित रास्ते के बीच में यदि कोई राजकीय भूमि पड़ती है तो उसका भी समाधान किया जा चुका है एवं यदि खातेदार आपस में सहमत नहीं है तो वह खातेदार जिसको जोत तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना है या पुराने रास्ते को चौड़ा करना है तो उसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क में दिया गया है। लेकिन उक्त प्रावधान केवल खातेदारी भूमि पर से रास्ते के संबंध में ही है लेकिन ऐसे प्रकरण जिसमें खातेदार को अपनी जोत तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नही है। खातेदार राजकीय भूमि में से ही होकर अपनी जोत तक पहुंच सकता है। खातेदार द्वारा अपनी जोत तक आने जाने के लिये रास्ता चाहा जा रहा है।***

उक्त समस्या के समाधान के लिये यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुँचने के लिये राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसी सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप–निगम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारीश की गई कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत किया जावें। यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूट से होगा तथा 30 फीट से अधिक चौडा नही होगा। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलिखित की जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा''।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण एवं राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 14.06.2013 प्रार्थी के आधार पर प्रार्थी द्वारा डीएलसी. की दुगुनी राशि जमा कराने की सहमति, प्रार्थी के खेत तक कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं होने एवं रास्ते की अत्यावश्यकता होने के कारण प्रार्थी के ख0नं0 327 तक पहुंच हेतु ख0नं0 329 की पूर्वी मेढ के सहारे तहसीलदार द्वारा पेश नजरी नक्शे के अनुसार 6.3 मीटर चौडा व 8 मीटर लम्बा रास्ता दिया जाना न्यायोचित होगा।

–::क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के स्वामित्व की आराजी ग्राम दीलोद हाथी तहसील अटरू के ख0नं0 327 का रकबा 0.52 है0 तक पहुंच हेतु तहसीलदार अटरू का जवाब/रिपोर्ट अनुसार ग्राम दीलोद हाथी के ख0नं0 329 किस्म बंजड में से पूर्वी मेड के सहारे 8 मीटर लम्बा व 6.3 मीटर चौडा रास्ता यानी 50.4 वर्ग मीटर भूमि की **DLC** की दुगनी राशि अप्रार्थी को दिये जाने/राजकोष में जमा करवाने पर रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 08/02/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां